(9)

समाहरणालय, मधेपुरा।
(सामान्य शाखा)
आदेश

दिनांक-01/11/2014 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति,मधेपुरा के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक- 16-1/स्था0 दिनांक-01/11/2014 (छायाप्रति सलंग्न) में लिए गए निर्णय के आलोक में चौकीदार/दफादार संवर्ग से सम्बंधित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति हेतु अनुशंसित 02(दो) अभ्यर्थीयों को उनके नाम के समक्ष अंकित पद एवं बेतनमान् में औपबंधिक(पूर्णतः अस्थायी)रूप से योगदान की तिथि से निम्न शर्त्तो के साथ नियुक्त किया जाता है। पदस्थापन कार्यालय प्रधान को आदेश दिया जाता है कि उक्त जिला अनुकम्पा समिति के बैठक की कार्यवाही में अंकित शर्तो का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सम्बंधित अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार करेगें।

(1)योगदान करने के पूर्व अभ्यर्थी से इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त किया जाए कि किसी संगीन अपराध के आरोप में उन्हें कारावास का दंड नहीं दिया गया है। किसी भी प्रकार का अपराधिक मामला बर्तमान में उनके विरुद्ध किसी न्यायालय में बिचाराधीन नहीं है। जिससे उन्हें मृत्युदंड अथवा कारावास की सजा देने की संभावना हो अथवा उक्त बाद के निस्तार होने पर आवेदक को छह माह अथवा उससे अधिक दंड दिया जा सकता हो।

(2)भविष्य में प्रमाण-पत्र गलत या फर्जी पाए जाने की स्थिति में सेवा से बर्खास्तगी के साथ- साथ अपराधिक मामला दर्ज की जाएगी एवं भुगतान की गई सम्पूर्ण बेतनादि की राशि सूद सहित वसूलनीय होगी।

(3)भविष्य में मृत सरकारी कर्मी के अन्य आश्रितों का भरण पोषण नहीं करने के सम्बंध में प्राप्त शिकायत पत्र के आधार पर नियुक्ति किसी भी समय रद्द कर दी जाएगी एवं इस सम्बंध में किसी प्रकार का स्पष्टीकरण मान्य नहीं होगा।

(4)योगदान करने के पुर्व अभ्यर्थी को अपनी सम्पति का पूर्ण व्यौरा शपथ- पत्र के माध्यम से समर्पित करना अनिवार्य होगा।

(5)इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा कि वे अपनी शादी में दहेज नहीं लेगें/पुर्नविवाह नहीं करेगें एवं सभी निरूपित सेवा सम्बंधी प्रावधानों का अनुपालन करगें।

(6)योगदान प्राप्त करने वाले कार्यालय प्रधान अनुकम्पा के आधार पर नियुक्त आवेदक द्वारा समर्पित आवेदन पत्र एवं सलंग्न कागजात,प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन अपने स्तर से करने के उपरांत व्यक्तिगत रूप से संतुष्ट होने पर ही बेतनादि का भुगतान करेगें।

योगदान के साथ उपर्युक्त धोषणा पत्र के अलावे असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,मधेपुरा से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त कर मूल में समर्पित करना होगा।

(8)आदेश निर्गत की तिथि से 15(पन्द्रह दिनों के अंदर योगदान स्वीकार्य होगा।

क.	नियुक्त अभ्यर्थी का नाम एवं विवरण	नियुक्ति पद का नाम एवं बेतनमान	पदस्थापन कार्यालय का नाम	अभ्युक्ति
1	श्री मंटू कुमार पिता-स्व.सत्यनारायण पासवान चौकीदार बीट संख्यॉं-9/7 अंचल-कुमारखंड। सा0- ग्राम+पोस्ट-परमानंदपुर थाना-श्रीनगर जिला-मधेपुरा	समूह "घ" चौकीदार पद पर। बेतनमान- 4440-7440 + ग्रेड पे-1800	अंचल कार्यालय, कुमारखंड। चौकीदार बीट संख्यॉं-9/7	दिनांक-01/11/2014 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-16-1/ दिनांक-01/1/14 की कंडिका-10 में लिये गए निर्णय द्रष्टव्य।
2	श्री लगन ऋषिदेव, माता-स्व.बुधनी देवी, चौकीदार बीट संख्यॉं-4/8 अंचल कार्यालय,शंकरपुर। साकिन-ग्राम+पोस्ट-बथान परसा थाना-शंकरपुर जिला-मधेपुरा।	स्मूह "घ" चौकीदार पद पर बेतनमान- 4440-7440+ ग्रेड पे-1800	अंचल कार्यालय, कुमारखंड चौकीदार बीट संख्यॉं9/7	दिनांक-01/11/14 को सम्पन्न जिला अनुकम्पा समिति के बैठक की कार्यवाही ज्ञापांक-16-1 दिनांक-01/11/14 की की कंडिका-1 में लिये गए निर्णय द्रष्टव्य।

इसकी सूचना सभी सम्बंधितों को दी जाए।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।

ज्ञापांक-1561/सा0,मधेपुरा दिनांक- 24 नवम्बर,2014

प्रतिलिपि-नवनियुक्त अभ्यर्थियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि-पुलिस अधीक्षक,मधेपुरा/असैनिक शल्य चिकित्सक -सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी,मधेपुरा/अनुमंडल पदाधिकारी,मधेपुरा/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी,मधेपुरा/अंचल अधिकारी,शंकरपुर एवं कुमारखंड/कोषागार पदाधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी,मधेपुरा को सूचनार्थ। निदेश है कि इसे जिला के वेवसाईट पर अपलोड कर दिया जाय एवं सम्बंधितों को ईमेल भी कर दें।

जिलाधिकारी,
मधेपुरा।